

1468/18



INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh




सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP040980929013920
Certificate Issued Date	: 25-Jan-2018 01:01 PM
Account Reference	: SHCIL (FI)/ upshcil01/ BARABANKI/ UP-BNK
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUPSHCIL01049340368723790
Purchased by	: SIYARAM GANGA PRASAD EDUCATIONAL TRUST THRU
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: SITUATED AT VILL-MOHAMMADPUR, PAR AND TEH- NAWABGANJ, BARABANKI
Consideration Price (Rs.)	: .
First Party	: MUKESH CHANDRA S O GANESH PRASAD
Second Party	: SIYARAM GANGA PRASAD EDUCATIONAL TRUST THRU
Stamp Duty Paid By	: SIYARAM GANGA PRASAD EDUCATIONAL TRUST THRU
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 1,19,700 (One Lakh Nineteen Thousand Seven Hundred only)

2215



Please write or type below this line

मुकेश चन्द्र

सियाराम गंगा प्रसाद



UP 0005148253

Statutory Alert

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.upshrcmp.com. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The value of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



शुभे



शुभे

विक्रय-पत्र

बिक्री 10,00,000/- मालियत 17,10,000/- ई-स्टाम्प 1,19,700/-

लेख-पत्र का संक्षिप्त विवरण :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. भूमि का प्रकार | कृषि |
| 2. परगना - | नवाबगंज |
| 3. ग्राम - | मोहम्मदपुर
(पी-कोड 1056, पृष्ठ-35) |
| 4. सम्पत्ति का विवरण नं० - | 184 (164607-0184-000012) |
| 5. मापन की इकाई | हेक्टेयर |
| 6. क्षेत्रफल | 0.2375 हेक्टेयर |
| 7. सड़क की स्थिति | बाराबंकी-देवा मार्ग से 3 किमी०
की दूरी पर स्थित |
| 8. अन्य | कुछ नहीं |
| 9. सम्पत्ति का प्रकार | कृषि भूमि/सड़क से हटकर |
| 10. पेड़ों का मूल्यांकन | कुछ नहीं |
| 11. बोरिंग कुआँ व अन्य | कुछ नहीं |
| 12. सरकारी दर | 72,00,000/- प्रति हे० |
| 13. प्रतिफल की धनराशि | 10,00,000/- |

शुभे

शुभे

(3)

14. चौहद्दी :

पूरव- खेत अर्चना मिश्रा व प्रदीप, पश्चिम-बिक्रीत भूमि का शेष भाग, उत्तर- गाटा संख्या 186, 187, 188, दक्षिण-खेत ललित कुमार।

प्रथम पक्ष संख्या 1
विक्रेता का विवरण

द्वितीय पक्ष संख्या 1
क्रेता का विवरण


मुकेश चन्द्र
पुत्र गनेश प्रसाद
निवासी- मोहम्मदपुर,
परगना व तहसील
नवाबगंज, जिला बाराबंकी
व्यवसाय-कृषि
आफिस सं०-544764262347
मोब- 08853054061

सियाराम गंगा प्रसाद एजूकेशनल ट्रस्ट
उत्तर टोला बंकी, बाराबंकी
(MSYS/1093/15) द्वारा संरक्षक/अध्यक्ष
सुनील कुमार जायसवाल पुत्र सियाराम
जायसवाल निवासी- मोहल्ला उत्तरटोला,
कस्बा व पोस्ट बंकी, परगना व तहसील
नवाबगंज जिला बाराबंकी
व्यवसाय-व्यापार
D.L. No. 4609/95444764262347/544363
Mob. : 09415142400

-: लेखपत्र का सम्पूर्ण विवरण :-

हम मुकेश चन्द्र पुत्र गनेश प्रसाद निवासी- मोहम्मदपुर, परगना व तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी प्रथम पक्ष विक्रेता व सियाराम गंगा प्रसाद एजूकेशनल ट्रस्ट उत्तर टोला बंकी, बाराबंकी (MSYS/1093/15) द्वारा संरक्षक/अध्यक्ष सुनील कुमार जायसवाल पुत्र सियाराम जायसवाल निवासी- मोहल्ला उत्तरटोला, कस्बा व पोस्ट बंकी, परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी द्वितीय पक्ष क्रेता। हम दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं एवं दोनों पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। —

मुकेश चन्द्र


सियाराम गंगा प्रसाद


(4)

जो कि प्रथम पक्ष की आराजी गाटा संख्या 184 रकबा 1.492 हेक्टेयर जो ग्राम मोहम्मदपुर परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी में स्थित है जिसका प्रथम पक्ष 1/2 भाग का स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर है। जो आज तक हर प्रकार के बन्धक व हस्तान्तरण आदि से शुद्ध व मुक्त प्रथम पक्ष के स्वामित्व व कब्जे में है कोई अन्य व्यक्ति उसके भाग में सम्मिलित या साझीदार नहीं है। अतः मैं प्रथम पक्ष अपनी शुद्ध बुद्धि व सचेत दशा में बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से उपरोक्त आराजी के अपने 1/2 भाग में से 0.2375 हेक्टेयर (शून्य दशमलव दो तीन सात पांच हेक्टेयर) भूमि को सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार सहित मु० 10,00,000/- रूपया (दस लाख रूपया) जिसके आधे 5,00,000/- रूपया (पांच लाख रूपया) होते है के बदले में द्वितीय पक्ष के हाथ बेंच दिया तथा कुल विक्रय मूल्य में से मु० 4,00,000/- रूपया जरिये RTGS चेक संख्या 127408 दिनांकित 24.11.2015 के द्वारा तथा शेष 6,00,000/- रूपया —

मु० २१५८५



Handwritten signature and a circular stamp impression on the right side of the document.



(5)

विभिन्न तिथियों में इस विक्रय पत्र लिखने के पहले ही प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से वसूल पा चुका है। अब विक्रय मूल्य में से कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। अतः आज की तारीख से विक्रीत भूमि पर द्वितीय पक्ष का पूर्ण अधिकार व कब्जा करा दिया। इकरार करता हूँ कि अब आज से मुझ प्रथम पक्ष या मेरे किसी उत्तराधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वत्व या सम्बन्ध विक्रीत भूमि में शेष नहीं रहा द्वितीय पक्ष पूर्णतया स्वामी है। जो चाहे करे व विक्रीत भूमि का दाखिल खारिज इस विक्रय-पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष अपने नाम करा लेवे। यदि किसी की दावेदारी से विक्रीत भूमि या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के स्वामित्व व कब्जे से निकल जावे तो उसकी पूर्ति व वापसी विक्रय मूल्य हर्जा व खर्चा न्यायालय सहित अर्थात् उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष पर होगी। अस्तु यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। विक्रीत भूमि पूर्णतया कृषि योग्य है। जो किसी मुख्यमार्ग/अन्य मार्ग/खड़प्पा मार्ग से लगी नहीं है विक्रीत भूमि में कोई बोरिंग व पेड़ व कुओं नहीं है। विक्रीत भूमि का इकरारनामा बय बिला कब्जा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में दिनांक 24.11.2015 को बही संख्या 1 के जिल्द संख्या 9134 के पृष्ठ- 163/174 पर क्रमांक 20919/15 के द्वारा क्रय किया था। ---

मुकरा चन्द्र



श्री २०१५१५१५

(6)

उपरोक्त विक्रीत भूमि प्रथम पक्ष की पुश्तैनी सम्पत्ति है इसकी 0 से 200 मी० त्रिज्या में कोई आवासीय व औद्योगिक व व्यवसायिक गतिविधि नहीं है। विक्रीत भूमि की मालियत सरकार द्वारा निर्धारित 72,00,000/- रूपया प्रति हेक्टेयर की दर से मालियत मु० 17,10,000/- रूपया होती है जिसपर अधिसूचना आदेश संख्या-स०वि०क०नि०-5-2756/11-2008-500(165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून 2008 के अन्तर्गत 1,19,700/- रूपया जरिये ई-स्टाम्प रजि० सं०-IN-UP04098992901392Q के द्वारा अदा किये गये हैं। चौहद्दी : पूरब- खेत अर्चना मिश्रा व प्रदीप, पश्चिम-विक्रीत भूमि का शेष भाग, उत्तर- गाटा संख्या 186, 187, 188, दक्षिण-खेत ललित कुमार। लेख पत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का सत्यतापूर्वक उल्लेख कर दिया गया है कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। —

मुकेश चन्द

श्री. कुमार



(7)

उक्त विक्रय पत्र पक्षकारों द्वारा दिये गये कागजात व उनके द्वारा बताया गये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी हम दोनों पक्षों पर होगी। विक्रीत भूमि में कोई स्टाम्प वाद नहीं है उभयपक्ष ने प्रस्तुत लेखपत्र को सुन/पढ़ व समझकर स्वीकार किया है। यह कि विक्रीत सम्पत्ति पर किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा न ही स्थगन आदेश पारित है।

दिनांक 25.01.2018

मुकेश चन्द



मुकेश चन्द



गवाह-1.

श्रीमती ममता पत्नी मुकेश चन्द्र निवासी- ग्राम मोहम्मदपुर,
परगना व तहसील नवाबगंज, परगना व तहसील नवाबगंज,
जिला बाराबंकी
(आ0कार्ड सं0-468197770328, मो0- 0



ममता



गवाह-2.

पुनीत कुमार वर्मा पुत्र आर्षन वर्मा निवासी- ग्राम मोहम्मदपुर,
परगना व तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी
(आ0कार्ड सं0-951823121286, मो0- 09956220822)



पुनीत वर्मा



मसविदाकर्ता

जयप्रकाश चतुर्वेदी

एडवोकेट

सिविल कोर्ट, बाराबंकी

1949/18




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP04123959198951Q
Certificate Issued Date	: 02-Feb-2018 11:25 AM
Account Reference	: SHCIL (FI)/ upshcil01/ BARABANKI/ UP-BNK
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUPSHCIL0104963099374275Q
Purchased by	: SIYARAM GANGA PRASAD EDU TRUST BY SUNIL KR JAISWAL
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: SITUATED AT VILL-MOHAMMADPUR, PAR AND TEH- NAWABGANJ, BARABANKI
Consideration Price (Rs.)	: 1,28,500
First Party	: RAKESH KUMAR S O GANESH PRASAD
Second Party	: SIYARAM GANGA PRASAD EDU TRUST BY SUNIL KR JAISWAL
Stamp Duty Paid By	: SIYARAM GANGA PRASAD EDU TRUST BY SUNIL KR JAISWAL
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 1,28,500 (One Lakh Twenty Eight Thousand Five Hundred only)



2018
2-2-18



Please write or type below this line

राजेश कुमार



राजेश कुमार



UP 0005148404

Security Alert

1. All subjects of the State should be advised to visit the website www.upstamp.gov.in and download the Certificate and its details.

2. The subject of this document is not to be used for any other purpose.

3. The subject of this document is not to be used for any other purpose.



विक्रय-पत्र

बिक्री 10,00,000/- मालियत 18,33,000/- ई-स्टाम्प 1,28,500/-
लेख-पत्र का संक्षिप्त विवरण :

1. भूमि का प्रकार	कृषि
2. परगना -	नवाबगंज
3. ग्राम -	मोहम्मदपुर (बी-कोड 1056, पृष्ठ-35)
4. सम्पत्ति का विवरण नं० -	184 (164607-0184-000012)
5. मापन की इकाई	हेक्टेयर
6. क्षेत्रफल	0.2545 हेक्टेयर
7. सड़क की स्थिति	बाराबंकी-देवा मार्ग से 3 किमी० की दूरी पर स्थित
8. अन्य	कुछ नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार	कृषि भूमि/सड़क से हटकर
10. पेड़ों का मूल्यांकन	कुछ नहीं
11. बोरिंग कुआं व अन्य	कुछ नहीं
12. सरकारी दर	72,00,000/- प्रति हे०
13. प्रतिफल की धनराशि	10,00,000/-

21/11/2021

21/11/2021



(3)

14. चौहद्दी :

पूरब- खेत क्रेता, पश्चिम-खेत क्रेता, उत्तर- गाटा संख्या 186, 187, 188, दक्षिण-खेत ललित कुमार।

प्रथम पक्ष संख्या 1

विक्रेता का विवरण

द्वितीय पक्ष संख्या 1

क्रेता का विवरण

राकेश कुमार

पुत्र गनेश प्रसाद उर्फ गनेश

निवासी- ग्राम मोहम्मदपुर,

परगना व तहसील

नवाबगंज, जिला बाराबंकी

व्यवसाय-कृषि

म0प0प0सं0-UP/29/143/354028

मोब- 09044877608

सियाराम गंगा प्रसाद एजूकेशनल ट्रस्ट

उत्तर टोला बंकी, बाराबंकी

(MSYS/1093/15) द्वारा संरक्षक/अध्यक्ष

सुनील कुमार जायसवाल पुत्र सियाराम

जायसवाल निवासी- मोहल्ला उत्तरटोला,

कस्बा व पोस्ट बंकी, परगना व तहसील

नवाबगंज जिला बाराबंकी

व्यवसाय-व्यापार

म0प0प0सं0-UP/29/143/549363

Mob. : 09415142400

-: लेखपत्र का सम्पूर्ण विवरण :-

हम राकेश कुमार पुत्र गनेश प्रसाद उर्फ गनेश निवासी- ग्राम मोहम्मदपुर, परगना व तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी प्रथम पक्ष विक्रेता व सियाराम गंगा प्रसाद एजूकेशनल ट्रस्ट उत्तर टोला बंकी, बाराबंकी (MSYS/1093/15) द्वारा संरक्षक/अध्यक्ष सुनील कुमार जायसवाल पुत्र सियाराम जायसवाल निवासी- मोहल्ला उत्तरटोला, कस्बा व पोस्ट बंकी, परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी द्वितीय पक्ष क्रेता। हम दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं एवं दोनों पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। —

21/02/2013 ML

सियाराम गंगा प्रसाद

(4)

जो कि प्रथम पक्ष की आराजी गाटा संख्या 184 रकबा 1.492 हेक्टेयर जो ग्राम मोहम्मदपुर परगना व तहसील नवाबगंज जिला वाराणसी में स्थित है जिसका प्रथम पक्ष 1/2 भाग का स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर है। जो आज तक हर प्रकार के बन्धक व हस्तान्तरण आदि से शुद्ध व मुक्त प्रथम पक्ष के स्वामित्व व कब्जे में है कोई अन्य व्यक्ति उसके भाग में सम्मिलित या साझीदार नहीं है। अतः मैं प्रथम पक्ष अपनी शुद्ध बुद्धि व सचेत दशा में बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से उपरोक्त आराजी के अपने 1/2 भाग में से 0.2545 हेक्टेयर (शून्य दशमलव दो पांच चार पांच हेक्टेयर) भूमि को सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार सहित मु० 10,00,000/- रूपया (दस लाख रूपया) जिसके आधे 5,00,000/- रूपया (पांच लाख रूपया) होते हैं के बदले में द्वितीय पक्ष के हाथ बेच दिया तथा कुल विक्रय मूल्य में से मु० 4,00,000/- रूपया बरवक्त इकरारनामा वय बिला कब्जा के समय जरिये RTGS चेक संख्या 127407 दिनांकित 24.11.2015 के द्वारा तथा शेष 6,00,000/- रूपया विभिन्न तिथियों में इस विक्रय पत्र लिखने के पहले ही प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से वसूल पा चुका है। अब विक्रय मूल्य में से कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। अतः आज की तारीख से विक्रीत भूमि पर द्वितीय पक्ष का पूर्ण अधिकार व कब्जा करा दिया। इकरार करता हूँ कि अब आज से मुझ प्रथम पक्ष या मेरे किसी उत्तराधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वत्व या सम्बन्ध विक्रीत भूमि में शेष नहीं रहा द्वितीय पक्ष पूर्णतया स्वामी है। जो चाहे करे व विक्रीत भूमि का दाखिल खारिज इस विक्रय-पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष अपने नाम करा लेवे। —

शुद्ध प्रथम पक्ष



शुद्ध द्वितीय पक्ष



(5)

यदि किसी की दायेदारी से विक्रीत भूमि या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के स्वामित्व व कब्जे से निकल जावे तो उसकी पूर्ति व वापसी विक्रय मूल्य हर्जा व खर्चा न्यायालय सहित अर्थात् उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष पर होगी। अस्तु यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। विक्रीत भूमि पूर्णतया कृषि योग्य है। जो किसी मुख्यमार्ग/अन्य मार्ग/खड़ण्जा मार्ग से लगी नहीं है विक्रीत भूमि में कोई बोरिंग व पेड़ व कुओं नहीं है। विक्रीत भूमि का इकरारनामा बय बिला कब्जा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में दिनांक 24.11.2015 को बही संख्या 1 के जिल्द संख्या 9134 के पृष्ठ- 163/174 पर क्रमांक 20919/15 के द्वारा क्रय किया था। उपरोक्त विक्रीत भूमि प्रथम पक्ष की पुश्तैनी सम्पत्ति है इसकी 0 से 200 मी० त्रिज्या में कोई आवासीय व औद्योगिक व व्यवसायिक गतिविधि नहीं है। विक्रीत भूमि की मालियत सरकार द्वारा निर्धारित 72,00,000/- रूपया प्रति हेक्टेयर की दर से मालियत मु० 18,33,000/- रूपया होती है जिसपर अधिसूचना आदेश संख्या- स०वि०क०नि०-5-2756/11-2008-500(165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून 2008 के अन्तर्गत 1,28,500/- रूपया जरिये ई-स्टाम्प रजि० सं०-IN-UP04123959198951Q के द्वारा अदा किये गये हैं। चौहदुदी : पूरब- खेत क्रेता, पश्चिम-खेत क्रेता, उत्तर- गाटा संख्या 186, 187, 188, दक्षिण-खेत ललित कुमार। लेख पत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का सत्यतापूर्वक उल्लेख कर दिया गया है कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। —

शम्भू 21/3/16



शम्भू 21/3/16

(6)

उक्त विक्रय पत्र पक्षकारों द्वारा दिये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है जिसकी सम्स्त जिम्मेदारी हम दोनों पक्षों पर होगी। विक्रीत भूमि में कोई स्टाम्प वाद नहीं है उभयपक्ष ने प्रस्तुत लेखपत्र को सुन/पढ़ व समझकर स्वीकार किया है। यह कि विक्रीत सम्पत्ति पर किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा न ही स्थगन आदेश पारित है।

दिनांक 02.02.2018

रमेश कुमार

रमेश कुमार

गवाह-1.

अनुपम वर्मा पुत्र शकेश कुमार निवासी- ग्राम मोहम्मदपुर,
परगना व तहसील नवाबगंज, परगना व तहसील नवाबगंज,
जिला बाराबंकी (व्यवसाय-व्यापार)
(आठकार्ड सं0-603806218248, मो0- 07081031488)



अनुपम वर्मा

गवाह-2.

पुनीत कुमार वर्मा पुत्र जयवंत वर्मा निवासी- ग्राम मोहम्मदपुर,
परगना व तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी
(आठकार्ड सं0-951823121286, मो0- 09956220822)



पुनीत वर्मा

पुनीत वर्मा

पुनीत वर्मा

मसविदाकर्ता

जयप्रकाश चतुर्वेदी

एडवोकेट

सिविल कोर्ट, बाराबंकी

17782/17



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh


e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP03120030863786P
Certificate Issued Date	: 25-Apr-2017 01:08 PM
Account Reference	: SHCIL (FI)/ upshcil01/ BARABANKI/ UP-BNK
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUPSHCIL0103743813318950P
Purchased by	: SUNEEL KUMAR S O SIYARAM
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: LAND SITUATED AT VILL-MOHAMMADPUR, PAR AND TEH-NAWABGANJ, BARABANKI
Consideration Price (Rs.)	: 1,51,400
First Party	: RAKESH KUMAR S O GANESH
Second Party	: SUNEEL KUMAR S O SIYARAM
Stamp Duty Paid By	: SUNEEL KUMAR S O SIYARAM
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 1,51,400 (One Lakh Fifty One Thousand Four Hundred only)

20000/1



155 30



Please write or type below this line

राकेश कुमार



सुनील कुमार शिवाचारी



0006730044

Statutory Alert

1. The authenticity of the Stamp Certificate issued by e-stamp can be verified at www.e-stamp.gov.in. Any discrepancy in the details on the Certificate are not available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



शंकर शर्मा



शंकर शर्मा

विक्री-10,00,000-00 मालियत- 24,48,000-00

स्टाम्प- 1,51,400-00

विक्रय-पत्र

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार :- कृषिक भूमि
2. परगना :- नवाबगंज
3. ग्राम :- मोहम्मदपुर (पीकोड- 1056 पेज- 96)
4. सम्पत्ति का विवरण (भूमि नं०) :- 184
5. मापन की इकाई (हेक्टेयर/वर्गमीटर) :- हेक्टेयर
6. विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल :- 0.340 हे०
7. सड़क की स्थिति(परिशिष्ट के अनुसार) :- नहीं
8. अन्य विवरण :- नहीं
9. बोरिंग/कुआं/अन्य :- नहीं
10. दरसरकारी :- 72,00,000-00 प्रति हेक्टेयर

चौहद्दी विक्रीत :-

- पूरब :- खेत शंकर बादहू चकमार्ग
- पश्चिम :- खेत गाटा संख्या 189
- उत्तर :- खेत गाटा संख्या 186, 187, 188
- दक्षिण :- नाली

शंकर शर्मा

शंकर शर्मा (कानपुर)

प्रथमपक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

- 1- नाम-राकेश कुमार
पिताकानाम-स्व० गनेश
स्थाईपता-ग्राम मोहम्मदपुर पर व
तह० नवाबगंज जिला बाराबंकी
व्यवसाय- कृषि
वोटर-UP/29/143/354028

द्वितीयपक्ष की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

- 1- नाम- सुनील कुमार
पिताकानाम-श्री सियाराम
स्थाईपता-उत्तरटोला बंकी पर व
तह० नवाबगंज जिला बारांकी
व्यवसाय- व्यापार
वोटर-UP/29/143/549363
Mo. 9415142400

यह विक्रय पत्र राकेश कुमार पुत्र स्व० गनेश निवासी ग्राम मोहम्मदपुर परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी (प्रथमपक्ष/विक्रेता) तथा सुनील कुमार पुत्र श्री सियाराम निवासी मोहल्ला उत्तरटोला कस्बा व पोस्ट बंकी परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी (द्वितीयपक्ष/क्रेता) के मध्य उपरोक्त भूमि के विक्रय क्रय हेतु निम्नलिखित शर्तों के आधार पर तहरीर किया गया है तथा प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष भारतीय नागरिक है व दोनों पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है।

जोकि भूमि नम्बर 184 रकबा 1.492 हेक्टेयर स्थित ग्राम मोहम्मदपुर परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी जिसका प्रथमपक्ष 1/2 का स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर है और जो आज तक हर प्रकार के बन्धक व हस्तान्तरण आदि से शुद्ध व मुक्त प्रथमपक्ष के स्वामित्व व कब्जे में मौजूद है प्रथम पक्ष के भाग की भूमि में कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित या साझीदार नहीं है। उपरोक्त भूमि में कोई स्टाम्पवाद नहीं है तथा जिसपर कोई स्थगनादेश नहीं है। अतः प्रथमपक्ष ने अपनी शुद्ध-बुद्धि व सचेत दशा में बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से उपरोक्त भूमि में से 0.340 हेक्टेयर भूमि को सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार सहित 10,00,000-00 (दस लाख) जिसके आधे 5,00,000-00 (पांच लाख) होते है के बदले में द्वितीयपक्ष/क्रेता के हाथ बेच दिया तथा कुल रूपया विक्रय मूल्य में से 2,00,000-00 इकरारनामे से पूर्व व शेष रूपया निम्नलिखित विवरण के अनुसार इस विक्रय पत्र लिखने के पहले ही क्रेता से प्रथमपक्ष वसूल पा चुका है। विक्रय मूल्य में से अब कुछ भी पाना बाकी नहीं है। अतः आज की तारीख से विक्रीत भूमि पर प्रथमपक्ष ने अपने ही समान क्रेता का पूर्ण स्वामित्व व कब्जा करा दिया। प्रथमपक्ष इकरार करता है कि अब आज से प्रथमपक्ष का या उसके किसी उत्तराधिकारी का या अन्य व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई स्वत्व या सम्बन्ध विक्रीत भूमि में शेष नहीं रहा क्रेता पूर्णतया स्वामी व भूमिधर है जो चाहे

राकेश कुमार

सुनील कुमार

करे व विक्रीत भूमि का दाखिल खारिज इस विक्रयपत्र द्वारा क्रेता अपने नाम करा लें। यदि किसी की दावेदारी से कुल विक्रीत भूमि या उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व व कब्जे से निकल जावे तो उसकी पूर्ति व वापसी विक्रय मूल्य हर्जा व खर्चा न्यायालय सहित अर्थात् उसका सारा आर्थिक व वैधानिक उत्तरदायित्व प्रथमपक्ष के ऊपर व प्रथमपक्ष के बाद उसके वारिसान पर होगा। अस्तु यह विक्रय पत्र प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष के हक में लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवें। विवरण विक्रीत भूमि जो कृषिक भूमि है तथा जिसके विक्रय का इकरारनामा दिनांक 13-10-2016 को किया गया है जिसकी रजिस्ट्री का इन्द्राज कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज बाराबंकी में बही संख्या 1 की जिल्द संख्या 10092 के पेज 271/292 में नम्बर 17711 पर है तथा उक्त भूमि किसी सड़क/खडण्जा पर नहीं है तथा जिसके 0 से 200 मीटर त्रिज्या के सेगमेंट में आवासीय/ औद्योगिक/व्यावसायिक गतिविधियां विद्यमान नहीं है और जिसकी किस्म जमीन सड़क से हटकर है जिसका सरकार द्वारा निर्धारित दर 72,00,0000-00 प्रतिहेक्टेयर है और जो प्रथमपक्ष की पुश्तैनी है जिसको क्रेता ने कृषि कार्य हेतु क्रय किया है जिसकी चौहद्दी उपरोक्त वर्णित है। उक्त राकेश कुमार की भूमि 2,63,000-00 रु० में इलाहाबाद बैंक मोहम्मदपुर में बंधक है जिसको बंधक मुक्त कराने की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी।

विवरण विक्रीत भूमि :-

भूमि नंबर	रकबा कुल	हिस्सा विक्रेता	रकबा विक्रीत	सरकारी मालियत
184	1.492	1/2मेसे	0.340हे०	24,48,000-00

विवरण वसूली विक्रय मूल्य-10,00,000-00 रु०।

1. 2,00,000-00 रु० प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से इकरारनामे से पूर्व पा लिया है।
2. 2,00,000-00 रु० चेक सं० 129374 देना बैंक बाराबंकी।
3. 2,00,000-00 रु० चेक सं० 129375 देना बैंक बाराबंकी।
4. 2,85,000-00 रु० जरिये RTGS देना बैंक बाराबंकी।
5. 1,15,000-00 रु० नगद प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से पा लिया है।

उपरोक्त विक्रीत भूमि की सरकारी मालियत 24,48,000-00 है जो अधिकतम है जिसपर नियमानुसार 1,71,400-00 रु० मूल्य का स्टाम्प आयद होता है परन्तु इकरारनामे में दिये गये 20,100-00 रु० मूल्य के स्टाम्प में से 20,000-00 रु० मूल्य के स्टाम्प को समायोजित करते हुए 1,51,400-00 रु० मूल्य का ई-स्टाम्प संख्या IN-UP03120030863786P दिया गया है। उक्त लेखपत्र को उभयपक्षों ने पढ़ व सुन व समझ कर अपने-अपने हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा बनाये है। उपरोक्त भूमि वर्तमान में बंधक है जिसे प्रथमपक्ष बंधकमुक्त करा लेगा।

श्री 21 अगस्त

श्री 21 अगस्त 2016

इस लेख पत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का सत्यतापूर्वक उल्लेख कर दिया गया है। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
तारीख तहरीर 25-04-2017 हस्ताक्षर [Signature]

शनिेश कुमार



शनिेश कुमार अग्रवाल



शुभित

श्री

श्री. सुमित कुमार (वर्तमान राकेश कुमार)

गोहमदपुर पो. श्रीरामवनकुटीर

नवलखंडीम बा.क.बे.बी

शुभित 313266951625

Mb. 7800889905

SP2 दी.पं-5 पी.पी.सिंहयादव

510 श्रीपी.पी.सिंहयादव

गोहमदपुर पो.क.बे.बी

शुभित 334739501103

Mb. 9554304490



श्री

शुभित
SANJEEV KUMAR SRIVASTAVA
Advocate

Reg. No. 9100/2011

9005700700

पु 19736/21



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



BR 426274

--:पट्टा विलेख(Lease Deed):--

स्टाम्प 4,100/ रुपया

हम सुनील कुमार जायसवाल पुत्र सियाराम जायसवाल निवासी-
नजदीक वाटर टैंक उत्तर टोला बंकी तहसील नवाबगंज जिला
बाराबंकी (आ0का0स0 3252 6945 9617) पिन नं0-
AAPRS8710C मो0-9839042400 प्रथम पल भवन स्वामी व---

सुनील कुमार

सुनील कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES
20 MAR 2021
Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 426273

(2)

सियाराम गंगा प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट प्रबन्धक/अध्यक्ष सुनील कुमार
जायसवाल पुत्र सियाराम जायसवाल निवासी- नजदीक वाटर टैंक
उत्तर टोला बंकी तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी (आ0का0सं0
3252 6945 9617) पैन नं0- AAPRS8710C मो0-9839042400
द्वितीय पक्ष पट्टा विलेख के है। विदित हो कि प्रथम पक्ष खसरा
संख्या 184 रकबा 1.492हे0 है जिसका प्रथम पक्ष 1/2 भाग भूमि
का पूर्णतया स्वामी है। ---

सुनील कुमार



सुनील कुमार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 426272

(3)

जिसमें से 0.340 हे० अर्थात् 3400 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहद्दी :- पूरब खेत शंकर पश्चिम गाटा संख्या 189 उत्तर गाटा संख्या 186 व 187 व 188 दक्षिण नाली। दोनों पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है। ----

श्री श्री अमरनाथ



श्री श्री अमरनाथ



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

20 MAR 2021

Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BR 426271

(4)

यह कि उक्त भूमि न्यायालय श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय नवाबगंज बाराबंकी की वाद संख्या 19780/2018 कम्प्यूट्रीकृत वाद संख्या T2018412480119780 दिनांक 05.08.2020ई0 को धारा-80 उपप्र0रा.संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित की जा चुकी है। यह कि प्रथम पक्ष द्वारा उपरोक्त भवन व भूमि जो कालेज चलाने के लिए बनावाया गया था प्रथम पक्ष द्वारा ट्रस्ट के उपरोक्त कालेज की भूमि व भवन लीज पर देने का प्रस्ताव किया।—

श्रीमान् उपजिलाधिकारी



श्रीमान् उपजिलाधिकारी



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE

HUNDRED RUPEES

05 MAR 2021

Chief Cashier/cashier

100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FU 305530


(5)

प्रथम पक्ष उपरोक्त भूमि व भवन द्वितीय पक्ष लीज पर लेने के लिए तैयार है। उपरोक्त लीज के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष जो शर्तें तय हुई हैं उनको लिपिवत् किया जा रहा है ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

1. यह कि लीज डीड आज दिनांक 15.07.2021 से प्रारम्भ होकर 30.06.2051 तक के लिए तकमील की जा रही है। जिसकी मियाद 29 वर्ष 11 माह के लिए मान्य होगी।

(6)

2. यह कि प्रथम पक्ष ने अपनी भूमि गाटा संख्या 184 में से एक किता जगह जिसका क्षेत्रफल 3400 वर्गमीटर जो कि ग्राम मोहम्मदपुर परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी में स्थित भवन व भूमि में अपना कब्जा व दखल समाप्त करके व अपने सम्पूर्ण अधिकारों को द्वितीय पक्ष को दे दिया। द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपनी भूमि व भवन को जिस प्रकार चाहे उसमें तबदीली निर्माण शैक्षिक प्रयोग हेतु कर सकेगा। इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. यह कि विदित होवे कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को अपने सम्पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिये है द्वितीय पक्ष द्वारा किये गये या किसी भी कार्य में प्रथम पक्ष कोई आपत्ति नहीं होगी। व सम्पूर्ण भूमि व भवन की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
4. यह कि उपरोक्त लीज के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष ने 29 वर्ष 11 माह हेतु एक मुक्त लाभान्स प्रीमीयम मु0 1,00,000/- रुपया प्राप्त कर लिये है जो कि प्रथम पक्ष को सहर्ष स्वीकार है।





(7)

5. यह कि उपरोक्त लीज की अवधि की समाप्ति के बाद यदि पक्षगणों के बीच पुनः लीज अवधि बढ़ाई जाती है तो पक्षगणों की आपसी सहमति पर रजिस्ट्री करा ली जायेगी।

दिनांक:- 15.07.2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

गवाह नं०-1



विकास चन्द्र मिश्र पुत्र सुभाष चन्द्र मिश्र
निवासी-अमोली कलां परगना व तहसील
रामनगर जिला बाराबंकी
पेशा-वकालत
जि०बा०पं०सं०- 2622
मो०-9792119116

गवाह नम्बर-2



सुशील कुमार वर्मा पुत्र स्व० मेडीलाल
निवासी महुवारी पुरवा पैसार देहात थाना
कोतवाली नगर परगना व तहसील
नवाबगंज जिला बाराबंकी
पेशा- वकालत
जि०बा०पं०सं०-1012
Mobile No. : 9140083190

मसविदाकर्ता

[Handwritten signature]

विकास चन्द्र मिश्र
एडवोकेट

सिविल कोर्ट, बाराबंकी।